IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 45/2025

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA

APPLICANT

VERSUS

SEIAA AND OTHERS

RESPONDENT(S)

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Reply on behalf of Respondent District Magistrate Jhansi along with supporting affidavit.	**1-12**
2.	**Annexure P/1:-**True copy of notice issued to the lessee vide letter No. 535/30 MMC/2024-25 dated 17.08.2024 is attached herewith.	**13-14**
3.	**Annexure P/2:-**True copy of letter No. 544/JVS-1200/24 dated 12.11.2024 and letter No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10.10.2024 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is attached herewith (colly).	**15-16**

4.	**Annexure P/3:-**True copy of order No. 838/30 MMC/2023-24 dated 22.11.2024 passed by the competent authority is attached herewith.	**17-18**
5.	**Annexure P/4:-**True copy of letter No. 72/Parya/Siya/5860/5578/2020 dated 21.11.2024 issued to the lessee is attached herewith.	**19**
6.	**Annexure P/5:-**True copy of First Information Report dated 06.12.2024 lodged at Police Station Kakarbai, District Jhansi is attached herewith.	**20**
7.	**Annexure P/6:-**True copy of report dated 26.12.2024 submitted by the Station House Officer, Police Station Kakarwai, District Jhansi is attached herewith.	**26**
8.	**Annexure P/7:-**True copy of complaint dated 24.02.2025 filed before the Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Jhansi is attached herewith.	**27-29**
9.	**Annexure P/8:-**True copy of order No. 960/30MMC/2024-25 dated 12.12.2024 passed by the competent authority is attached herewith.	**30-33**

Date:01/04/2026 **THROUGH**

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka Swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi
110014

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 45/2025

IN THE MATTER OF:

BIPIN KUMAR SAXENA **APPLICANT**

VERSUS

SEIAA AND OTHERS **RESPONDENT(S)**

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT DISTRICT MAGISTRATE JHANSI ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

1. That at the very outset, it is respectfully submitted that the facts relevant to the present proceedings, as borne out from the record, are being placed hereinafter for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

2. That the present reply is being filed in compliance with the Order dated 23.02.2026 passed in the above captioned matter

3. It is further submitted that the proposed public hearing scheduled for 30.03.2026 in respect of the sand/gravel mining lease over an

area admeasuring 24.000 hectares has been stayed with immediate effect, till the final disposal of the aforesaid appeal.

4. That the mining lease of sand/gravel over an area of 24.000 hectares in Khata No. 1419B (Block-1), Village Dhamnoud, Tehsil Garautha, District Jhansi, was approved for a period of 05 years, i.e., from 11.01.2023 to 10.01.2028, in favour of Shri Bipin Kumar Saxena, son of Shri Om Prakash Saxena, resident of H.I.G.A/135, Aashiyana Pratham, Tehsil and District Moradabad.

5. That in relation to the said mining lease, the operative portion of the order dated 22.05.2024 passed in OA No. 440/2023 titled *Naveen Kumar vs. State of Uttar Pradesh & Others* by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, is reproduced hereinbelow:

> *"In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been*

noted above and will submit the report before the Tribunal within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

3. That in compliance with the aforesaid order, the Committee constituted by this Hon'ble Tribunal submitted its inspection report on 16.08.2024, It has been specifically recorded in the said inspection report that condition numbers 19, 20, 30, 41 and 45 of the General Conditions and condition numbers 08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63 and 66 of the Specific Conditions, and further condition numbers 07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47 and 48 of the General Conditions and condition numbers 03, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71 and 75 of the Specific Conditions mentioned in the Environmental Clearance Certificate were not complied with by the lessee, namely Shri Bipin Kumar Saxena.

4. That on the basis of the said inspection report dated 16.08.2024, a notice was issued to the lessee vide letter No. 535/30 MMC/2024-25 dated 17.08.2024 by this office, directing him to submit an explanation within seven days regarding violation of the terms and conditions of the executed lease deed and non-compliance of the

General and Specific Conditions stipulated in the Environmental Clearance Certificate dated 18.11.2022, however, no reply was submitted by the lessee at the relevant time. **True copy of notice issued to the lessee vide letter No. 535/30 MMC/2024-25 dated 17.08.2024 is attached herewith and marked as Annexure P/1**

5. That letter No. 544/JVS-1200/24 dated 12.11.2024 issued by the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Regional Office Jhansi, read with letter No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10.10.2024 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow records the following:

> *"As per the report sent by the Regional Officer, Pollution Control Board, Jhansi through letter dated 30.09.2024, the on-site inspection of the mining lease in question was conducted on 27.09.2024, wherein it was found that the unit has not installed a water sprinkler system for controlling the dust generated from mining operations and only partial plantation was found at the mining project site, which does not reflect compliance with the conditions imposed in the Consent to Operate (Water/Air) dated 05.03.2023 issued by the State Board and Environmental Clearance dated 18.11.2022 issued by the State Level Environment Impact Assessment Authority.*

In the public interest and in order to ensure a healthy environment, it is necessary to stop the operation of the industrial unit in exercise of powers conferred under Section 31-A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Accordingly, a closure order has been issued after approval from the competent authority:

I. The Consent to Operate (Water/Air) dated 05.03.2023 granted to M/s Bipin Kumar Saxena (Part-1), Gata No. 1419K, Village Dhamnoud, Tehsil Garautha, District Jhansi, is hereby revoked.

II. The unit is directed to immediately cease all operations/production at Gata No. 1419B, Village Dhamnoud, Tehsil Garautha, District Jhansi

III. The competent authorities are directed to disconnect the electricity supply and ensure closure of all operational facilities forthwith."

True copy of letter No. 544/JVS-1200/24 dated 12.11.2024 and letter No. H-18455/C-2/Air-557/24 dated 10.10.2024 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is attached herewith and marked as Annexure P/2 (colly)

6. That after taking into consideration the communications issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the Environment

Directorate, this office, with respect to the approved 05-year mining lease in Arazi No. 1419B (Block-1), admeasuring 24.000 hectares, situated in Village Dhamnoud, Tehsil Garautha, District Jhansi, vide order No. 838/30 MMC/2023-24 dated 22.11.2024, placed the matter before the competent authority for consideration. **True copy of order No. 838/30 MMC/2023-24 dated 22.11.2024 passed by the competent authority is attached herewith and marked as Annexure P/3.**

7. That thereafter, the lessee/applicant herein was directed to ensure compliance with the directions contained in letter No. 72/Parya/Siya/5860/5578/2020 dated 21.11.2024, issued by the competent authority **True copy of letter No. 72/Parya/Siya/5860/5578/2020 dated 21.11.2024 issued to the lessee is attached herewith and marked as Annexure P/4.**

8. That, however, during an inspection conducted by a joint team of the Mining Department on 05.12.2024, it was found that a total quantity of 5140 cubic meters of sub-mineral sand/gravel had been illegally mined and transported without authorization from the lease area in question; consequently, the Mines Inspector, Jhansi, lodged a First Information Report at Police Station Kakarbai on 06.12.2024

True copy of First Information Report dated 06.12.2024 lodged at Police Station Kakarbai, District Jhansi is attached herewith and marked as Annexure P/5.

9. That in connection with the aforesaid FIR relating to illegal mining, and in continuation of the report dated 26.12.2024 submitted by the Station House Officer, Police Station Kakarwai, District Jhansi **True copy of report dated 26.12.2024 submitted by the Station House Officer, Police Station Kakarwai, District Jhansi is attached herewith and marked as Annexure P/6.**

10. A complaint has been instituted before the competent Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Jhansi, under Sections 4 and 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 read with Rules 3, 58 and 72 of the Uttar Pradesh Sub-Mineral (Prevention) Rules, 2021, vide letter No. 2023/30MMC/Complaint/2024-25 dated 24.02.2025 which is presently under consideration. **True copy of complaint dated 24.02.2025 filed before the Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Jhansi is attached herewith and marked as Annexure P/7.**

11. That owing to non-compliance of the General and Specific Conditions stipulated in the Environmental Clearance Certificate and

the illegal mining activities, this office vide order No. 960/30MMC/2024-25 dated 12.12.2024 (Annexure-9) passed the following orders:

- **I.** The auction lease of sand/gravel situated in the bed of river Ghasan over an area of 24.000 hectares in Block No. 1 of Gata No. 1419B, Village Dhamnoud, Tehsil Garautha, District Jhansi, granted for the period 11.01.2023 to 10.01.2028 in favour of Shri Bipin Kumar Saxena, is hereby cancelled and the area is declared vacant.
- **II.** A total amount of Rs. 51,26,000/- is imposed towards royalty on illegal mining, head value, and statutory fee under Rule 58.
- **III.** The lessee is blacklisted for a period of two years under Rule 61(2)
- **IV.** Separate orders shall be passed regarding security deposit and recovery of dues.

True copy of order No. 960/30MMC/2024-25 dated 12.12.2024 passed by the competent authority is attached herewith and marked as Annexure P/8.

12. That the Environmental Clearance Certificate dated 18.11.2022 issued in favour of the lessee by SEIAA, Uttar Pradesh, was cancelled vide letter dated 22.12.2024.

13. That against the aforesaid order, Appeal No. 45/2025 (IA No. 442/2025) was preferred before the Hon'ble National Green Tribunal, wherein vide order dated 23.02.2026, the Hon'ble Tribunal was pleased to reject the impleadment applications and directed listing of the matter on 02.04.2026.

14. That thereafter, upon the mining area being declared vacant, the same was re-advertised in accordance with Rule 23 of the Uttar Pradesh Sub-Mineral (Prevention) Rules, 2021 and Government Order dated 14.08.2017 vide letter dated 17.04.2025. Pursuant thereto, under the e-tender-cum-e-auction process, a Letter of Intent was issued on 27.05.2025 in favour of M/s K.P. Singh Bhadoria, being the highest bidder.That on the basis of the said Letter of Intent, the successful bidder applied for grant of Environmental Clearance after obtaining approval of the mining plan from the competent authority, and in furtherance thereof, a public hearing was conducted on 30.03.2026 in accordance with law and in the interest of revenue.

15. That it is evident from the above that despite the prohibitory orders passed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the Mining Department, the appellant/lessee continued to carry out illegal mining activities and has also failed to deposit the amount imposed for such illegal mining.

16. It is further submitted that under Rule 79 of the Uttar Pradesh Sub-Mineral (Prevention) Rules, 2021, an appeal could have been preferred before the Commissioner, Jhansi against the notification dated 17.04.2025, and a revision could have been filed before the State Government under Rule 80. However, with an intent to delay the proceedings and to keep the matter pending, the present appeal has been filed before the Hon'ble Tribunal on the basis of false and misleading facts, and is therefore liable to be dismissed, being devoid of merit and unsupported by evidence.

17. In view of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully submitted that the Hon'ble Tribunal may kindly be apprised of the true factual position and appropriate counter submissions be filed in the subject appeal.

Through

District Magistrate, Jhansi

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 45/2025

IN THE MATTER OF:

VIPIN KUMAR SAXENA **APPLICANT**

VERSUS

SEIAA AND OTHERS **RESPONDENT(S)**

AFFIDAVIT

I, Shailendra Singh, aged about 50 years S/o Dr. Shri Shankar Dayal Singh is presently posted as Senior mines officer, Jhansi, Uttar Pradesh having an office at Jahnsi., presently at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit on behalf of District Magistrate Jhansi.
2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the Deponent will continue to extend her full cooperation and shall abide by any further directions that the Hon'ble Tribunal may issue.

PUBLIC NOTARY R.K Agrawal Advocate HANSI Regn No 8493/2011 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Hansi... on this 01......day of..04...2026, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

PUBLIC NOTARY
R.K. Agrawal
Advocate
HANSI
Regn. No. 8493 /2011
Valid up to 02-03-2
GOVT. OF INDIA

Serial No. 509 Date 01-04-26
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at .... by Shri/Smt/Kumari Shailendra Singh (M.O.) to whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri.................... received the legal fee Rs.............
01-04-26
RAVI KANT AGRAWAL
PUBLIC NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF INDIA HANSI

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः—535 /30एम0एम0सी0/2024—25 दिनांकः 17/08/202

नोटिस

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी—एन0आई0जी0—ए/135,
आशियाना प्रथम, तहसील व जिला—मुरादाबाद।

जनपद झांसी की तहसील गरोठा के ग्राम—धमनौड़ के गाटा संख्या—1419 ख खण्ड संख्या—1 में स्थित 24.0 हे0 पर उपखनिज बालू/मोरम के रिक्त क्षेत्र को 05 वर्ष हे ई—निविदा सह ई—नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु प संख्या—1270/30एम0एम0सी0/विज्ञप्ति—बालू/मोरम/2019—20 दिनांकः 26.11.2019 के माध्य से विज्ञापन किया गया। जिसमें आपको सर्वोच्च बोलीदाता घोषित करते हुए पत्र संख्या—1557/30एम0एम0सी0/2019—20 दिनांकः 28.01.2020 को आशय—पत्र निर्गत किया गया। जिसमें आ द्वारा दिनांकः 18.11.2022 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आपके पक्ष दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक (05 वर्षीय) की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पाद किया गया।

उपरोक्त निष्पादित खनन पट्टे में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण—पत्र की शर्तों का पालन न करने के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0 440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य जिसमें पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण—पत्र की शर्तों के अनुपालन की जांच किये जाने हेतु आदेश दिनांकः 22.05.2024 पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः—

"14- In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/ non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे का निरीक्षण कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण—पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय के समक्ष दिनांकः 16.08.2024 को प्रस्तुत की गयी, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर भी प्रदर्शित है। उक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किय गया है कि आप द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण—पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्त संख्या—19, 20, 30, 41 व 45 एवं Specific conditions की शर्त संख्या—08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63 व 66 का आंशिक अनुपालन ही किया गया एवं General conditions की शर्त संख्या—07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47 व 48 एवं Specific conditions की शर्त संख्या—3, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71 व 75 का अनुपालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली—2021 के नियम—61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् हैः—

(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम—60 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम–60 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक 08.08.2024 के अनुसार आप द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाना आपके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का भी उल्लंघन है।

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र दिनांक 18.11.2022 में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन न किये जाने जो आपके पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन होने के दृष्टिगत अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।

संलग्नकः– संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2024।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0–लखनऊ।
2– सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) पर्यावरण निदेशालय,उ0प्र0–लखनऊ।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झाँसी।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

Received

356 म0/10/24 740

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

(1)

संदर्भ सं0/ Ref. No. 18455 / सी-2/वायु-557/24

दिनांक/Date 10-10-24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना,
खण्ड सं0–1, गाटा सं0–1419ख, ग्राम–धमनौद, तहसील–गरौठा,
जनपद–झांसी

यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा सं0–1419ख, ग्राम–धमनौद, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। इकाई खनन कार्य कर खनिज के उत्पादन हेतु उक्त स्थल पर स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–2(के) के अन्तर्गत एक कम्पनी है तथा लघु श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 440/2023 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा नं0 1419ख, गांव–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा मेसर्स इण्ड0 रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रा0लि0, नोएडा द्वारा करायी गयी परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक था। खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं पाया गया। जिसके अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 16319/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। खनन पटटाधारक द्वारा कारण बताओ नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

यह कि पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 में उल्लिखित सामान्य शर्तो एवं विशिष्ट शर्तो का अनुपालन न किये जाने के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय, झांसी द्वारा खनन पटटाधारक को पत्र संख्या 535/30 एमएमसी/2024–25 दिनांक 17.08.2024 द्वारा खनन पटटा के निरस्तीकरण हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा नं0 1419ख, गांव–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांक 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नही पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा नं0 1419ख, गांव–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांक 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Ph/Fax : 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

दिनांक 12.11.2024
Date.........................20

पत्रांक सं० ....
Ref. No. 544/JVS-1200/24

सेवा में,
जिला खान अधिकारी
झांसी।

विषय : मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड सं0–1, गाटा सं0–1419ख, ग्राम–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के बंदी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 440/2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 440/2024 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन हेतु मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड संख्या–01, गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड, तहसील–गरौठा, जनपद–झांसी के बालू खनन परियोजना के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यंथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 10.10.2024 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 12.11.2024 को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झांसी से दूरभाष पर हुई वार्ता में प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में अच्छादित प्रश्नगत खनन परियोजना की अविलम्ब बंदी सुनिश्चित/खनिज का खनन प्रतिबन्धित करा कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, जिससे उक्त की सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित की जा सकें। माननीय एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई दिनांक 25.11.2024 नियत है।

भवदीया
Deepa 12.11.24
(दीपा अरोरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झांसी को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 10.10.2024 के संदर्भ में।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः-838 /30एम0एम0सी0 /2023-24 दिनांकः 22/11 /2024

श्री विपिन कुमार सक्सेना
पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना
निवासी-एम.आई.जी.-ए/135, आशियाना प्रथम,
तहसील व जिला-मुरादाबाद।

जनपद-झाँसी तहसील-गरौठा के ग्राम-धमनौड़ के आराजी संख्या-1419ख (खण्ड-01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू/मोरम का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत नियम-23(2)(क) एवं शासनादेश संख्या-1875/86- 2017-57 (सामान्य)/2017 दिनांकः 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत खनन पट्टा ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

उक्त खनन पट्टे में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या-544/जे0वी0एस0-1200/24 दिनांकः 12.11.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-440/2023 नवीन कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 13.08.2024 के अनुपालन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा जनपद-झाँसी के तहसील- गरौठा स्थित ग्राम-धमनौड़ के आराजी संख्या-1419ख (खण्ड-01) में 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन परियोजना के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच18455/सी-2/वायु-557/24 दिनांकः 10.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लेख किया गया है :-

"माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-440/2023 नवीन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना, खण्ड संख्या-01, गाटा नं0-1419ख, गांव धमनौड़, तहसील-गरौठा, जनपद-झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 19.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईकाई द्वारा मैसर्स इण्ड0 रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा0लि0, नोएडा द्वारा करायी गयी। परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक था। खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं पाया गया जिसके अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच-16319/सी-2/वायु-557/24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था। खनन पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.224 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा खनन इकाई मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड-01 गाटा संख्या-1419ख, ग्राम-धमनौड़ तहसील-गरौठा जनपद-झाँसी का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नहीं पाया गया।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1881 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांकः 18.08.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 (यथासंशोधित) की धारा-31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया गया है :–

1– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांक 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

2– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

3– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।"

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/ 2020 दिनांक 21.11.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है कि "a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024 but it was received back, hence the show cause notice was e-mailed on the address viven in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary,CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08.08.2024.

Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 is kept in abeyance."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके पक्ष में जनपद–झाँसी तहसील–गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के आराजी संख्या–1419ख (खण्ड–01) में 24.000 हेक्टेयर में 05 वर्षीय स्वीकृत बालू/मोरम का खनन पट्टा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0बी0एस0–1200/24 दिनांक 12.11.2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांक 10.10.2024 तथा पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/2020 दिनांक:21.11.2024 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3– सदस्य/सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झाँसी।
5– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।
6– उपजिलाधिकारी, गरौठा।
7– पुलिस क्षेत्राधिकारी, गरौठा।
8– थानाध्यक्ष–ककरबई।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.com

To,

Sri Vipin Kumar Saxena
S/o Sri Om Prakash Saxena
R/o- MIG –A/135, Aashiyana Pratham,
Tehsil and District Moradabad U.P.

Ref. No 72 /Parya/SEIAA/ 5860/5578 /2020 Date: 21, November, 2024

MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/56882/2020 & SEIAA, U.P File no- 5860/5578

Sub: Abeyance of Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mining from Dhasan Riverbed at Gata No. 1419 Kh Khand No.- 01, Village- Dhamnaud, Tehsil- Garautha ,District- Jhansi U.P., (Leased Area – 24.00 Ha).

Dear Sir,

SEIAA in its 851st meeting dated 07-11-2024, discussed the above matter in light of order dated 22.05.2023 and 16.08.2024 in Hon'ble NGT O.A. No. 440/2023 Naveen Kumar versus State Of Uttar Pradesh & Ors and noted that the above matter was discussed in its 819th meeting in which it was decided that:

"A show cause notice be issued to project proponent regarding non-compliance of Environmental Clearance conditions as submitted by the petitioner. Project proponent is required to clarify the following within 15 days- As to why EC issued vide letter no. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 should not be cancelled."

In the Minutes of 851st SEIAA meeting it is mentioned that:

"a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA/5860-5578/2019 dated 27/06/2024 but it was received back. hence the show cause notice was e-mailed on the address given in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA agreed to keep the EC issued vide letter No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary, CPCB and RO, MoEF&CC Lucknow filed on 03/08/2024."

Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18/11/2022 is kept in abeyance.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

This is for your information and necessary action in accordance with provision of EIA notification 2006 (as amended).

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate, Jhansi.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.in)
6. Copy for Guard File.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): झांसी
   P.S. (थाना): ककरवई
   Year (वर्ष): 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि..सं.): 0098
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 06/12/2024 13:09

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 22/11/2024
   Date To (दिनांक तक): 05/12/2024

   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 00:00 बजे
   Time To (समय तक): 00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 06/12/2024 Time (समय):12:59 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date & Time (दिनांक और समय): 06/12/2024 12:59 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 09 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भूमि आराजी संख्या 1419ख , ग्राम धमनौड ,तहसील गरौठा थाना ककरवई

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

a.L

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अतुल दूबे

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खनिज विभाग झाँसी ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	दूबे निवास,कुमारदूबी ,धनबाद,झारखंड,828203,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7979950700

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विपिन कुमार सक्सेना		पिता का नाम : ओम प्रकाश सक्सेना	1. एमआईजी A/135,आशियाना प्रथम ,मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश, भारत
2	अन्य अज्ञात अभियुक्त		पिता का नाम : अज्ञात	1. अज्ञात ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

वादी द्वारा जिलाधिकारी महोदय झाँसी का आदेश उपलब्ध कराने में देरी करने के कारण

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल मूल प्रार्थना पत्र..................सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना ककरबई जनपद झाँसी विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध मे। महोदय अवगत कराना है कि जनपद झाँसी के तहसील गरौठा के ग्राम धमनौड के अराजी सं0 1419ख में 24 हे0 क्षेत्र पर 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज़ बालू/मोरम का खनन पट्टा श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जिला मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत है। उक्त क्षेत्र में खनन संक्रियाए बन्द करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.11.2024 को आदेश पारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही के सम्बन्ध में आज दिनाँक 05/12/2024 समय 10.30PM बजे मेरे एवं श्री विनोद कुमार, खनिज मोहरीर , झाँसी एवं होमगार्ड महेश कुमार (HG483) द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य होता पाया गया। किन्तु पट्टा क्षेत्र में ताजा खनन के साक्ष्य पाये गये, जिसके उपरान्त मौके पर पैमाइश की गयी। पैमाइश मे कुल 5140 घन मीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया , पट्टाधारक द्वारा आदेश दिनाँक 22/11/2024 का उल्लंघन कर खनन किया जाना खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि

पट्टाधारक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करे। प्रार्थी एसडी अंग्रेजी अपठनीय 05/12/2024 Atul dubey mines inspector, Jhansi mob- 7979950700, एसडी अंग्रेजी अपठनीय 05/12/24 (विनोद कुमार) ख0 मो0 झाँसी। नोट- मै का0मु0200 सुनील प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थना पत्र की नकल शब्द व शब्द मेरे द्वारा सीसीटीएनएस कैश साफ्टवेयर पर सिवाय तकनीकि त्रुटियो के टाइप किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): AJAY KUMAR YADAV **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 172450098 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.** (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name Vinay Kumar sahu
Rank I (Inspector)
No. 930630373

कार्यालय थाना 751 ककरवई जनपद झाँसी

सेवा में,

श्री अतुल दूबे खनिज निरीक्षक
जनपद झाँसी मो.नं.7979950700

विषय- थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 98/2024 धारा 4/21 खान एवं खनिज(विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में वाद दायर करने विषयक।

महोदय,

कृपया आपको कराना है कि थाना स्थानीय पर दिनाँक 06.12.2024 को आपके द्वारा मु0अ0सं0 98/2024 धारा 4/21 खान एवं खनिज(विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 बनाम विपिन कुमार सक्सेना पुत्र ओम प्रकाश सक्सेना निवासी एमआईजी–A/135,आशियाना प्रथम तहसील व जिला मुरादाबाद(पट्टाधारक) व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव थाना ककरवई जनपद झाँसी द्वारा सम्पादित की जा रही थी किन्तु उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना मुझ उ0नि0 आदेश कुमार राना को हस्व आदेश श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के सुपुर्द हुयी है। खान एवं खनिज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों व धाराओं का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि धारा 22 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि........."कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए लिखित परिवाद पर ही करेगा,अन्यथा नही"। इस अधिनियम के धारा 22 के अनुसार उक्त अभियोग न तो पंजीकृत हो सकता है और नही इसकी विवेचना की जा सकती है,उक्त प्रकरण मे अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिये संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद झाँसी से विधिक राय प्रदान करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद झाँसी द्वारा इस सम्बन्ध में विधिक राय प्रदान किया गया। खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 22 में निहित प्राविधानों व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रदान किये गये विधिक अभिमत के अनुसार पाया गया कि उक्त अभियोग न तो पंजीकृत हो सकता है और न ही इसकी विवेचना सम्पादित की जा सकती है। तदानुसार उक्त अभियोग की विवेचना समाप्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आपको एक प्रति इस आशय की प्रेषित की जा रही कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय न्यायालय में परिवाद दायर कर वैधानिक कार्यवाही करें।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

श्रीमानजी, अग्रसारित है।
26.12.24

(विनय कुमार साहू)
प्रभारी निरीक्षक
थाना-ककरवई (झाँसी)

(आदेश कुमार राना)
उ0नि0 विवेचक
थाना ककरवई झाँसी

समक्ष माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी।

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा–22
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957

परिवाद संख्याः– /2025

उ0प्र0 राज्य (की ओर से खान निरीक्षक, झाँसी)..परिवादी

बनाम

श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जनपद–मुरादाबाद आदि..विपक्षी

अभियोजन अन्तर्गत धारा–4 व 21, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 नियम–3, 58,72
थाना–ककरवई, जनपद–झाँसी।
घटना दिनांकः 05.12.2024
साक्षी–श्री विनोद कुमार, खनिज मोहर्रिर, खनिज विभाग, झाँसी।

दिनाँकः 24/02/2025

संख्या :– 2023/30एम0एम0सी0/परिवाद/2024–25

महोदय,

ऊपर वर्णित परिवाद निम्नलिखित निवेदन करता है:–

1– यह कि परिवादी जनपद–झाँसी में खान निरीक्षक के पद पर नियुक्त है तथा परिवादी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन दण्डनीय किन्ही अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–608(1)/86–10–24/09 दिनांकः 15.02.2010 द्वारा उक्त अधिनियम–1957 की धारा–22 के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है।

2– यह कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–22 में उल्लिखित प्राविधान है कि :–

No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder except upon complaint in writing made by a person authorized in this behalf by the Central Government or the State Government.

3– यह कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–76 में यह प्राविधानित है कि :–

(1)– कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2)– प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा।

4– कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार जनपद–झाँसी के तहसील–गरौठा स्थित ग्राम–धगनौड़ के आराजी संख्या–1419ख, रकवा–24.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028) की अवधि हेतु उपखनिज बालू/मोरम का खनन पट्टा श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जनपद–मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत है। उक्त क्षेत्र में खनन संक्रियाए बन्द करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांकः 22.11.2024 को आदेश पारित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही के सम्बन्ध में दिनांकः 05.12.2024 समय 10:30 PM बजे अधोहस्ताक्षरी एवं श्री विनोद कुमार, खनिज मोहर्रिर, खनिज विभाग, झाँसी व हमराही श्री महेश कुमार (HG483) द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य होता हुआ नही पाया गया किन्तु प्रश्नगत क्षेत्र में ताजा खनन के साक्ष्य पाये गये, जिसके उपरान्त मौक़े की पैमाइश की गयी। पैमाइश में कुल .5140.00 घन मीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसके उपरान्त थाना–ककरवई में पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जनपद–मुरादाबाद के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निमित्त दिनांकः 05.12.2024 को तहरीर दिया गया। (तहरीर दिनांकः 05.12.2024 कि छायाप्रति संलग्न)

...2

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांकः 06.12.2024 को थाना ककरवई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR No-0098) दर्ज किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रभारीय निरीक्षक थाना–ककरवई के पत्र दिनांकः 26.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि "थाना स्थानीय पर दिनांकः 06.12.2024 को आपके द्वारा मु0अ0सं0 98/2024 धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 बनाम विपिन कुमार सक्सेना पुत्र ओम प्रकाश सक्सेना निवासी एमआईजी–A/135, आशियाना प्रथम तहसील व जिला मुरादाबाद (पट्टाधारक) व अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव थाना ककरवई जनपद–झाँसी द्वारा सम्पादित की जा रही थी किन्तु उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना मुझ उ0नि0 आदेश कुमार राना को हस्ब आदेश श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के सुपुर्द हुयी है। खान एवं खनिज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों व धाराओं का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि धारा 22 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ...."कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्ही नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही"। इस अधिनियम के धारा 22 के अनुसार उक्त अभियोग न तो पंजीकृत हो सकता है और नही इसकी विवेचना की जा सकती है, उक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही के लिये संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद–झाँसी को विधिक राय प्रदान करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद–झांसी द्वारा इस सम्बन्ध में विधिक राय प्रदान किया गया। खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 22 में निहित प्राविधानों व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रदान किये गये विधिक अभिमत के अनुसार पाया गया कि उक्त अभियोग न तो पंजीकृत हो सकता है और न ही इसकी विवेचना सम्पादित की जा सकती है। तदानुसार उक्त अभियोग की विवेचना समाप्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आपको एक प्रति इस आशय की प्रेषित की जा रही कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित माननीय न्यायालय में परिवाद दायर कर वैधानिक कार्यवाही करे। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त प्रकरण में पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–HIG-A/135 आशियाना प्रथम तहसील व जनपद–मुरादाबाद द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांकः 22.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) की अवहेलना कर बिना अनुमति प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य किये जाने का कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4 व 21 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का स्पष्ट उल्लंघन है।

5– यह कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–77(2) में प्राविधानित है कि:– "जहाँ उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहाँ इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही या अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधी यदि अभिरक्षा में हो तब जब्त वाहन, उपकरण या खनिज यदि कोई हो, शमन शुल्क, खनिज मूल्य सहित जमा करने के उपरान्त, तत्कहल उन्मोचित कर दिया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि जब शमन हेतु आवेदन पत्र 03 कार्य दिवस के भीतर प्राप्त नही होता है तब सम्बन्धित अधिकारी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक लिखित परिवाद दाखिल करेगा।"

6– यह कि उपरोक्त तथ्य अभियुक्त द्वारा किए गए ऊपर लिखित अपराध को प्रमाणित करता है।

7– यह कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4(1ए) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:–No person shall transport or store or cause to be transported or stored any mineral otherwise than in accordance with the provision of this Act the rules made there under.

8– यह कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–21(1) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है :– Whoever contranvenes the provision of sub section (1) or sub section (1A) of section (4) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five Years and with fine Which may exiend to five lakh rupees per hectare of the area. तथा उक्त अधिनियम की धारा–21(2) में प्राविधान निम्नवत् है :– Any rule made any provision of this Act may provide that any contravension there of shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five lakh rupees or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which any extend to fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

9– यह कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–3 में यह प्राविधानित है कि "कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उपखनिज की, जिसपर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार कोई खनन संक्रियाएं न कर सकेगा।"

...3

(3)

10— यह कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–58 में यह प्राविधानित है कि जो "यदि कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनो में से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए न्यूनतम दो लाख रूपये एवं अधिकतम पांच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डों से दण्डनीय होगा।"

11— यह कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 नियम–72(2) में यह प्राविधानित है कि "कोई व्यक्ति राज्य सरकार के भीतर किसी वाहन, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपनियम(1) के अधीन जारी प्रपत्र एम0एम0–11/ई–एम0एम0–11 में और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम 7(3) के अधीन जारी विधिमान्य अभिवहन पास या किसी अन्य राज्य द्वारा जारी समान विधिमान्य अभिवहन पास के बिना कोई उपखनिज नही ले जायेगा।

12— अतः पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–HIG-A/136 आशियाना प्रथम तहसील व जनपद–मुरादाबाद द्वारा बिना अनुमती कुल 5140.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा 4 व 21 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3,58,72 का उल्लंघन किए जाने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत परिवाद दायर किया जा रहा है। तद्नुसार मा0 न्यायालय से प्रार्थना है कि परिवाद पर संज्ञान लेकर अभियुक्त/विपक्षी को उपरोक्त धाराओं में तलब कर दण्डित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(अतुल दुबे)
खान निरीक्षक,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांकः–
प्रतिलिपिः– अभियोजन अधिकारी, मा0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी को उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु प्रेषित।

खान निरीक्षक,
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

दिनांकः 12/12/2024

पत्रांकः–960/उ0एम0एम0सी0/2024–25

आदेश

जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 पर उपखनिज बालू/मोरम के रिक्त क्षेत्र को 05 वर्ष हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली–2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु पत्र संख्या–1270/उ0एम0एम0सी0/विज्ञप्ति–बालू/मोरम/2019–20 दिनांकः 26.11.2019 के माध्यम से विज्ञापन किया गया, जिसमें श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद को सर्वोच्च बोलीदाता घोषित करते हुए पत्र संख्या–1557/उ0एम0एम0सी0/2019–20 दिनांकः 28.01.2020 को आशय–पत्र निर्गत किया गया। जिसमें श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा दिनांकः 18.11.2022 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उनके पक्ष में दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक (05 वर्षीय) की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादन किया गया।

उक्त पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में योजित (ओ0ए0) 440/2023 नवीन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 में उल्लेख किया गया हैः–

"In order to ascertain the extent of illegal mining in violation of the EC conditions by Respondent No. 11, we form a Joint Committee comprising of the representative of Member Secretary, CPCB, not below the rank of Senior Scientist, and RO, MoEF&CC, Lucknow who will act as 7 a coordinating agency. The Committee will visit the site within a period of two weeks and will collect full information in respect of the extent of mining which has been done by Respondent No. 11 and the compliance/ non-compliance of 'general' and 'specific' conditions of EC by Respondent No. 11 which have been noted above and will submit the report before the Tribunal."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टे का निरीक्षण कर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में अपनी निरीक्षण आख्या मा0 हरित अधिकरण न्यायालय के समक्ष दिनांकः 16.08.2024 को प्रस्तुत की गयी, जो मा0 हरित अधिकरण न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट (www.greentribunal.gov.in) पर भी प्रदर्शित है। उक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित किया गया है कि पट्टाधारक (श्री विपिन कुमार सक्सेना) द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्त संख्या–19, 20, 30, 41 व 45 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–08, 12, 17, 23, 29, 38, 44, 53, 61, 62, 63 व 66 का आंशिक अनुपालन ही किया गया एवं General conditions की शर्त संख्या–07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47 व 48 एवं Specific conditions की शर्त संख्या–3, 07, 09, 13, 15, 20, 27, 32, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 60, 67, 68, 70, 71 व 75 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके उपरान्त पट्टाधारक को पत्र संख्याः–535/उ0एम0एम0सी0/2024–25 दिनांकः 17.08.2024 को नोटिस प्रेषित किया गया कि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र दिनांकः 18.11.2022 में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन न किये जाने हेतु श्री विपिन कुमार सक्सेना के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लंघन होने के दृष्टिगत अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें की क्यों न उ0प्र0

2...

Scanned with CamScanner

उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम–61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीरण की कार्यवाही की जाय, किन्तु श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त खनन पट्टा के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544/जे0वी0एस0–1200/24 दिनांकः 12.11.2024 के साथ संलग्न उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455/सी–2/वायु–557/24 दिनांकः 10.10.2024 में उल्लेख किया गया है कि:–

"माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 22.05.2024 के अनुपालन में दिनांकः 19.06.2024 को गठित समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवेशीय वायुगुणता की अनुश्रवण आख्या के अनुसार पी0एम0 10 प्रचालकों के मान निर्धारित मानकों से अधिक होना पाया गया एवं खनन इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 की शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया जिसके उपरान्त राज्य बोर्ड के पत्रांक एच–16319/सी–2/वायु– 557/24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 (यथासंशोधित) की धारा–31–ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था, किन्तु खनन पट्टाधारक द्वारा कारण बताओं नोटिस का अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 को किया गया, जिसमें यह पाया गया कि इकाई द्वारा खनन कार्य से उत्पन्न होने वाली डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित नहीं किया गया है तथा खनन परियोजना स्थल पर आंशिक वृक्षारोपण पाया गया। जो राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल/वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाना परिलक्षित होता नहीं पाया गया।

जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित की धारा–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया गया है:–

1– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी को बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) आदेश दिनांकः 05.03.2023 को रिवोक किया जाता है।

2– यह कि मैसर्स विपिन कुमार सक्सेना खण्ड–01 गाटा संख्या–1419ख, ग्राम–धमनौड़ तहसील–गरौठा जनपद–झाँसी में संचालन/उत्पादन प्रकिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।

3– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।"

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/ parya/ SEIAA/ 5860/ 5578/ 2020 दिनांकः 21.11.2024 जिसमें उल्लेख किया गया है कि:–

"a show cause notice was issued to the project proponent vide letter No. 221/PARYA/SEIAA

3...

SEIAA/5860-5578/2019 dated 27.06.2024 but it was received back, bence the show cause notice was e-mailed on the address viven in the application form. The project proponent has not submitted any reply yet. Hence SEIAA opined to keep the EC issued vide letter No. EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 in abeyance, in light of joint committee report of representative of Member Secretary,CPCB and RO, MoEF&CC, Lucknow filed on 08.08.2024. Hence as per the decision of the SEIAA EC No EC22B001UP110182 dated 18.11.2022 is kept in abeyance."

उपरोक्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544 / जे0वी0एस0–1200 / 24 दिनांकः 12.11.2024 एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455 / सी–2 / वायु–557 / 24 दिनांकः 10.10.2024 तथा पर्यावरण, निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–72/parya/SEIAA/5860/5578/2020 दिनांकः 21.11.2024 का अनुपालन करने हेतु पत्र संख्याः–838 / 30एम0एम0सी0 / 2023–24 दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से आदेश पारित किया गया किन्तु खनन विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांकः 05.12.2024 को किये गये निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में बिना अनुमति कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू / मोरम का खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसके उपरान्त खान निरीक्षक–झाँसी द्वारा थाना–ककरबई में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा अनुमोदित पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित General conditions की शर्तों एवं Specific conditions की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया के सम्बन्ध में पट्टा निरस्तीकरण हेतु निर्गत नोटिस दिनांकः 17.08.2024 का प्रत्युत्तर आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी के पत्र संख्या–544 / जे0वी0एस0–1200 / 24 दिनांकः 12.11.2024 के साथ संलग्न उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच 18455 / सी–2 / वायु–557 / 24 दिनांकः 10.10.2024 के अनुसार श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा पत्रांक एच–16319 / सी–2 / वायु– 557 / 24 दिनांकः 28.08.2024 द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी के पत्र दिनांकः 30.09.2024 के अनुसार स्थलीय निरीक्षण दिनांकः 27.09.2024 में यह पाया गया कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति जल / वायु दिनांकः 05.03.2023 एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 18.11.2022 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना नहीं पाया गया एवं पत्र दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से निर्गत आदेश का अनुपालन न करते हुए कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू / मोरम का खनन कर परिवहन किये जाने की दशा में थाना–ककरबई में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह विदित है कि श्री विपिन कुमार सक्सेना द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन, बार–बार किये जाने तथा कई बार विभिन्न विभागो द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिसों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत न किये जाने एवं दिनांकः 22.11.2024 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश का उल्लंघन कर प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में खनन संक्रियायें संचालित किये जाने के दृष्टिगत निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:–

1– जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम–धमनौड़ के गाटा संख्या–1419 ख के खण्ड संख्या–1 में स्थित 24.0 हे0 क्षेत्र पर धसान नदी तल स्थित बालू / मोरम का नीलामी पट्टा 05 वर्ष (दिनांकः 11.01.2023 से दिनांकः 10.01.2028 तक) की अवधि हेतु श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए / 135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद के पक्ष में स्वीकृत बालू / मोरम के उक्त नीलामी पट्टा को एतद् द्वारा निरस्त कर तथा प्रश्नगत क्षेत्र को रिक्त घोषित किया जाता है।

2— प्रश्नगत खनन पट्टा के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–838/30एम0एम0सी0/2023–24 दिनांकः 22.11.2024 का अनुपालन न कर कुल 5,140.00 घनमीटर उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किये जाने के कारण अवैध खनन पर रॉयल्टी के रूप में रू0 7,71,000.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 7,71,000.00 X 5 = 38,55,000.00 की धनराशि व नियम–58 के अन्तर्गत रू0 5,00.000.00 की शास्ति शुल्क की धनराशि अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 51,26,000.00 को अधिरोपित की जाती है।

3— नियमावली के नियम–61(2) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन पट्टाधारक श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद के नाम को दो वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है।

4— प्रश्नगत खनन पट्टा में प्रतिभूति एवं बकाया के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,झाँसी।
4— अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
5— उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, गरौठा।
6— श्री विपिन कुमार सक्सेना पुत्र श्री ओम प्रकाश सक्सेना निवासी–एच0 आई0जी0–ए/135, आशियाना प्रथम, तहसील व जिला–मुरादाबाद।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

13/12/24